राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम बिहार

महत्त्वपूर्ण बातें

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम -

मात्र योजना नहीं बल्कि कानूनी प्रावधान

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान [1]

- उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बेहतर बनाना *(प्रस्तावना)*
- इच्छुक ग्रामीण वयस्कों को प्रति परिवार प्रति वित्तीय वर्ष कम से कम 100 दिन अकुशल मज़दूरी उपलब्ध कराकर *(धारा 3(1))*
- रोज़गार कानून की धारा 4 के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम बिहार बनाई गई - सितम्बर 06 में पुनरीक्षित
- यह मात्र एक और योजना नहीं बल्कि कानूनी बाध्यता
- उल्लंघन के लिए 1,000 रुपये तक दण्ड *(धारा 25)*

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान [2]

- न्यूनतम मज़दूरी दर - 81 रुपये प्रति दिन 80 पुरुष/68 स्त्री (110) घन फ़ीट नर्म मिट्टी, 66/55 (100) घन फ़ीट कड़ी मिट्टी, 55/47 (90) घन फ़ीट बहुत कड़ी मिट्टी काटने के लिए *(पत्रांक 1518 दि.19.2.07)*
- समय समय पर न्यूनतम मज़दूरी में परिवर्त्तन स्वतः लागू होता है
- लीड एवं लिफ़्ट के लिए प्रावधान
- तदनुसार प्राक्कलन पुनरीक्षित किए जाए
- प्राथमिकता के अनुसार तैयार परियोजना सूची ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व ज़िला परिषद अनुमोदित करेंगे *(धारा 13, 16)*
- हर दिसम्बर तक आगामी वर्ष की अनुमानित मज़दूरी की मांग बनावें *(धारा 14(6))*

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान[3] – बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006

- धारा 5 बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006: ग्राम सभा की गणपूर्त्ति (कोरम) पहली बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/20; कोरम के अभाव में स्थगित बैठक के लिए 1/40
- धारा 166: पंचायत, पंचायत समिति, ज़िला परिषद द्वारा वार्षिक विकास योजना बनाना अनिवार्य - इसके बिना भविष्य में योजना आयोग निधि नहीं देगी

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान [4]

- ग्राम सभा परियोजनाएँ अनुशंसित करेगी *(धारा 16(3))*
- कार्यान्वयन एजेंसी: केन्द्रीय/ राज्य के विभाग/ लोक उपक्रम, ज़िला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, लाइन विभाग, प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संगठन, स्वयं सहायता समूह *(कंडिका 5.3)*
- उपलब्ध राशि का कम से कम 50% ग्राम पंचायत योजनाओं के लिए *(धारा 16(5))*
- केन्द्र सरकार अकुशल मज़दूरी की पूर्ण राशि देगी, एवं 75% तक सामग्री पर व्यय जिसमें कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिक की मज़दूरी भी शामिल रहेगी; शेष राज्य सरकार देगी *(धारा 22)*

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान [5]

- राज्य सरकार को पूरा बेरोज़गारी भत्ता देना होगा; कार्यक्रम पदा. ऐसे मामलों में कारण बतावें *(धारा 7, अनुसूची II, 16))*
- परियोजनाओं की कुल लागत में अकुशल मज़दूरी पर कम से कम 60% खर्च होना चाहिए. यह ज़िला भर के लिए निर्धारित है *(अनुसूची I,9)*, परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण से पंचायत-वार लागू करें
- नियम एवं मार्गदर्शिका के अनुसार अभिलेखों का संधारण करें *(धारा 23(2), अनुसूची II, 20)*

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान [6]

- अनुसूची 1, कंडिका 1 – फ़ोकस एवं प्राथमिकता:

1. जल संरक्षण, जल संचय
2. सुखाड़ से बचाव (वणरोपण एवं वृक्षारोपण सहित)
3. सिंचाई नहर (लघु एवं सूक्ष्म सिंचाई सहित)
4. अनुसूचित जाति/ जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे परिवार, भूमि सुधार व इन्दिरा आवास लाभार्थी की भूमि पर सिंचाई सुविधा, बागवानी, भूमि विकास
5. पारम्परिक जल स्रोतों का नवीकरण (तालाबों से गाद निकालना भी)
6. भूमि विकास
7. बाढ़ नियंत्रण एवं बचाव कार्य; जलमग्न क्षेत्रों से पानी की निकासी
8. बारह-मासी ग्रामीण सड़कें

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान [7]

- अनुसूची 1 – अन्य मुख्य बातें:
  - अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य: टिकाऊ सम्पदाओं का सृजन; ग्रामीण ग़रीबों का आजीविका संसाधन संरचना को मज़बूत बनाना *(कंडिका 2)*
  - सिर्फ़ ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएँ *(कंडिका 3)*
  - कोई ठेकेदार, बिचौलिया या मशीन नहीं *(कंडिका 11,12)*
  - पारदर्शिता व जिम्मेवारी; जनता द्वारा कागज़ातों का निरीक्षण *(कंडिका 13,16)*
  - गुणवत्ता एवं मज़दूरी भुगतान का नियमित निरीक्षण *(कंडिका 14)*
  - वार्षिक प्रतिवेदन *(कंडिका 15)*

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान [8]

- अनुसूची 2 – शर्तें:
  - इच्छुक ग्रामीण वयस्क के परिवार का पंजीकरण आवेदन *(कंडिका 1)*
  - जाँच एवं फ़ोटो सहित कार्य पत्र (जॉब कार्ड) देना *(कंडिका 2)*
  - पंजीकृत व्यक्ति 14 दिन या अधिक के अकुशल काम की लिखित मांग *(धारा 4(1), कंडिका 4,5,9)*
  - तिथि सहित रसीद देकर आवेदन दर्ज करें *(कंडिका 10)*
  - पंचायत या कार्यक्रम पदा 15 दिनों के अन्दर काम दें *(कंडिका 6)*
  - काम 5 किलोमीटर के अन्दर, अन्यथा 10% अधिक मज़दूरी *(कं. 12)*
  - काम पर आने के लिए लिखित सूचना दें *(कंडिका 11)*
  - एक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिन काम *(कं. 5)*

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान[9]

- अनुसूची 2 – और बातें:
  - कम से कम 1/3 महिलाएँ *(कंडिका 6 परंतुक)*
  - नया काम तभी लें जब कम से कम 10 मज़दूर हो *(कंडिका 13)*
  - सप्ताह में 6 दिन काम *(कंडिका 15)*
  - सूचना पट्ट पर काम करने वालों की सूची दिखावें *(कंडिका 22)*
  - ग़लत सूचना के कारण सुनवाई के बाद पंजीकरण को रद्द कर सकते *(कंडिका 23)*
  - काम करने के समय मज़दूर घायल होने पर मुफ़्त चिकित्सा *(कंडिका 24, 25, 26)*

रा.ग्रा.रो.गा.अ. कानूनी प्रावधान [10]

- अनुसूची 2 – और बातें:
  - ➢ काम की जगह पर पीने का पानी, छाया, प्राथमिक इलाज की व्यवस्था *(कंडिका 27)*
  - ➢ काम पर लगे महिलाओं के 6 साल उम्र के 5 या अधिक बच्चे हों तब काम की जगह पर एक महिला को उनकी देखभाल के लिए रखें *(कंडिका 28)*

प्रक्रियात्मक मुद्दे [1]

- केंद्रीय दिशा-निर्देश:
  - अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य: टिकाऊ उत्पादक परिसम्पदाएँ बनाना; पर्यावरण की रक्षा; ग्रामीण औरतों का सशक्तिकरण; पलायन को रोकना; सामाजिक समानता *(कंडिका 1.1.1)*
  - अच्छी गुणवत्ता वाले सम्पदाओं सुनिश्चित करने के लिए सुनियोजित योजना – ज़िला परिप्रेक्ष्य योजना, वार्षिक योजना *(अध्याय 3)*
  - परिणाम पर आधारित रणनीति **(outcome based strategies)** ***(3.2.3)***
  - विशिष्ट (unique) पंजीकरण संख्या *(4.2.9)*
  - पंचायत रोज़गार सेवक *(2.2.1(b))*
  - साप्ताहिक रोज़गार गारंटी दिन *(4.5)*
  - प्रत्येक काम के लिए 5-9 सदस्य की निगरानी एवं अनुश्रवण समिति *(10.7)*

ज़िला परिप्रेक्ष्य योजना (3.2)

- ज़िला का संक्षिप्त वर्णन (profile)
- टोपोग्राफ़िकल नक्शा
- योजना बनाते समय परामर्श की प्रक्रिया
- ग़रीबी के मुख्य कारण एवं रणनीति
- मज़दूरों की उपलब्धता एवं मांग का अनुमान
- आधारभूत संरचना में कमी
- परियोजनाओं की संक्षिप्त सूची एवं व्यय का अंदाज़
- वर्ष-वार संसाधन की कमी

कार्य पत्र (जॉब कार्ड) (4.3)

- आवेदन की जाँच - (क) उसी पंचायत के रहनेवाले - प्रवासी भी, (ख) वयस्क, (ग) पूर्व में उस परिवार को कार्य पत्र नहीं दिया गया
- पंजीकरण के 15 दिन के अन्दर
- गृहस्थी के सभी वयस्क सदस्यों के फ़ोटो के साथ जॉब कार्ड देना
- एक प्रति परिवार के पास, एक पंचायत में; विशिष्ट पंजीयन संख्या
- 5 वर्ष के लिए वैध
- ग़लत सूचना के कारण रद्द किया जा सकता परन्तु सुनवाई के बाद
- नष्ट या खोने पर डुप्लीकेट दिया जा सकता
- काम के दिन एवं भुगतान का विवरण अवश्य लिखें

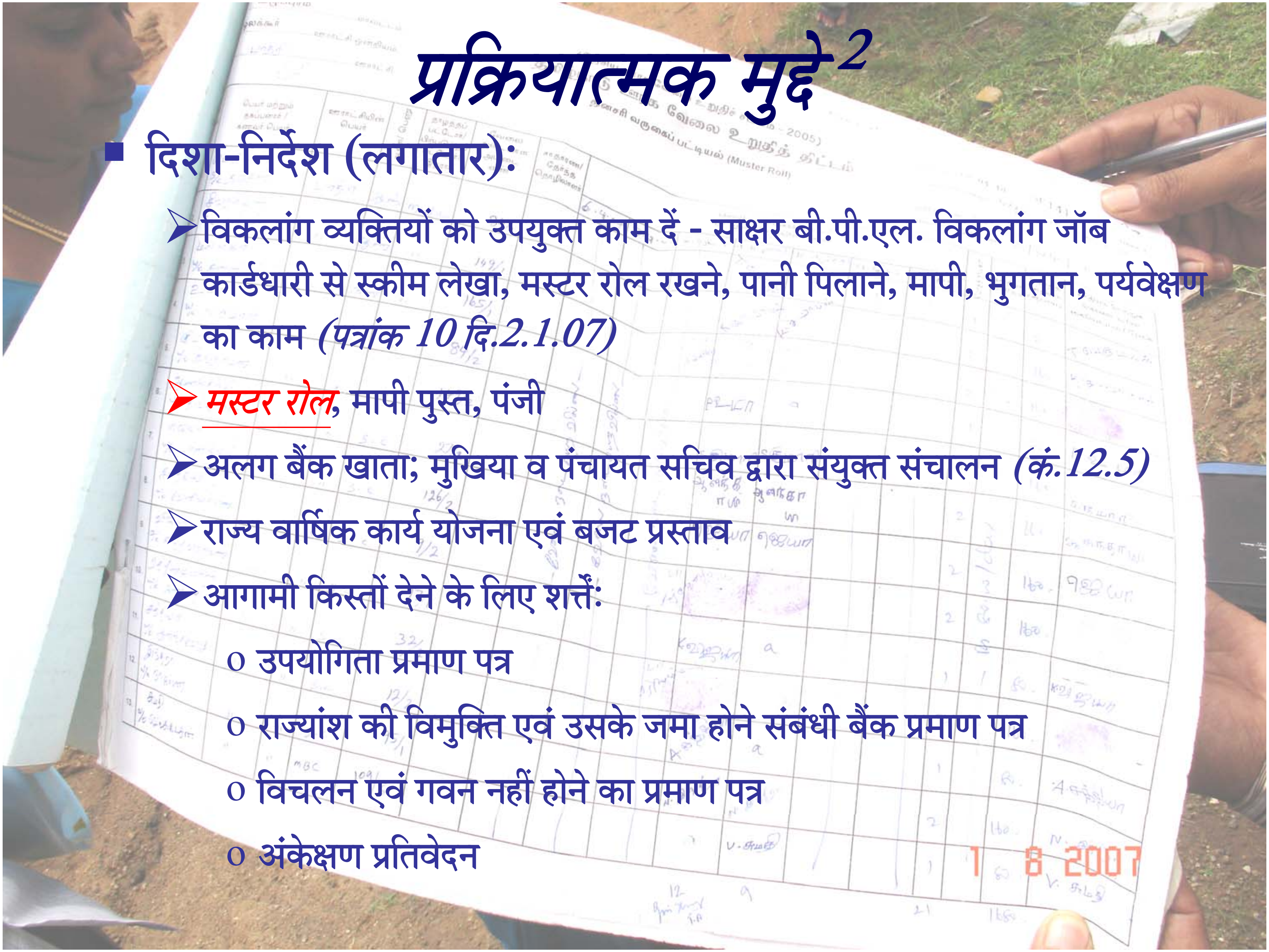

प्रक्रियात्मक मुद्दे[2]

- दिशा-निर्देश (लगातार):
  - विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त काम दें - साक्षर बी.पी.एल. विकलांग जॉब कार्डधारी से स्कीम लेखा, मस्टर रोल रखने, पानी पिलाने, मापी, भुगतान, पर्यवेक्षण का काम *(पत्रांक 10 दि.2.1.07)*
  - *मस्टर रोल*, मापी पुस्त, पंजी
  - अलग बैंक खाता; मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त संचालन *(कं.12.5)*
  - राज्य वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रस्ताव
  - आगामी किस्तों देने के लिए शर्त्तें:
    - o उपयोगिता प्रमाण पत्र
    - o राज्यांश की विमुक्ति एवं उसके जमा होने संबंधी बैंक प्रमाण पत्र
    - o विचलन एवं गबन नहीं होने का प्रमाण पत्र
    - o अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्रक्रियात्मक मुद्दे 3

दिशा-निर्देश (लगातार):

- मासिक लेखा संधारण
- मॉनिटरिंग, सत्यापन, गुणवत्ता ऑडिट; क्षेत्रीय निरिक्षण
- राष्ट्रीय/ राज्य/ ज़िला गुणवत्ता मॉनिटर
- कम्प्यूटरीकृत MIS
- नियमित मूल्यांकन; ज़िलों का ग्रेडिंग
- ग्राम पंचायत पंजी:
  - निबंधन के लिए आवेदन
  - जॉब कार्ड
  - रोज़गार
  - परिसम्पत्ति
  - मस्टर रोल प्राप्ति
  - शिक़ायत

प्रक्रियात्मक मुद्दे 4

- दिशा-निर्देश (लगातार):
  - प्रखंड पंजियाँ:
    - रोज़गार के लिए आवेदन
    - जॉब कार्ड
    - मस्टर रोल निर्गम
    - परिसम्पत्ति
    - शिक़ायत
  - ज़िला अभिलेख:
    - मासिक व वार्षिक प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक व कागज़ की प्रति
    - शिक़ायत पंजी

प्रक्रियात्मक मुद्दे 5

- दिशा-निर्देश (लगातार):
  - सूचना अधिकार अधिनियम
  - वित्तीय एवं भौतिक अंकेक्षण
  - निगरानी एवं अनुश्रवण, शिक़ायतों का समाधान
  - ग्राम सभा में स्कीम संबंधी सूचना जनता को पढ़ कर सुनाते सामाजिक ऑडिट
  - सामाजिक अंकेक्षण के लिए जाँच सूची (चेक लिस्ट)
  - ज़िला में तकनीकी संसाधन की उपलब्धता
  - अन्य कार्यक्रमों से समन्वय (Convergence)
  - लाइन विभागों से कार्य करावें

प्रक्रियात्मक मुद्दे 6

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम बिहार :
  - ग्राम पंचायत 1 लाख रुपये तक तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे सकता
  - कार्यान्वयन अभिकर्त्ता में स्व.ग्रा.स्व.यो. के स्वयं सहायता समूह भी हैं
  - बेकारी भत्ता: प्रथम 30 दिनों में रोज़ाना 20.25 रुपये, 40.50 रुपये उसके बाद; वर्ष में अधिकतम रु.8,100
  - साप्ताहिक मापी एवं भुगतान
  - 15 प्रपत्र
  - नियमित लेखा, प्रतिवेदन, उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रक्रियात्मक मुद्दे 7

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम बिहार :
  - सभी कागज़ातों में "राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम" का ज़िक्र *(अधिनियम में 6.3.07 का संशोधन)*
  - योजना सूचना पट्ट
  - सभी कागज़ातों पर नम्बर एवं कार्यक्रम पदा. का हस्ताक्षर
  - निरीक्षण: कार्यक्रम पदा. द्वारा 100%, ज़िला के पदा. द्वारा 10%, राज्य पदा. द्वारा 2%
- कुल खर्च का 4% तक प्रशासनिक खर्च, पंचायतों के लिए भी
- साप्ताहिक रोज़गार गारंटी दिवस

ज़िला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका [1]

- ज़िला परिषद के दायित्वों में सहयोग
- प्रखंडों एवं अन्य एजेंसियों से प्राप्त कार्य योजनाओं को समेकित कर ज़िला की परियोजना सूची में शामिल करना
- ज़िला की परिप्रेक्ष्य योजना तैयार कराना
- आवश्यकतानुसार प्रशासनिक स्वीकृति देना
- अधीनस्थ पदा. का अनुश्रवण, समन्वय, पर्यवेक्षण

ज़िला कार्यक्रम समन्वयक की भूमिका 2

- निरीक्षण
- शिक़ायतों की जाँच, निस्तार
- श्रम बजट बनाकर ज़िला परिषद से पारित कराना
- वित्तीय, भौतिक एवं सामाजिक अंकेक्षण कराना
- 60% उपयोग के बाद अगली किस्त की मांग

कार्यक्रम पदाधिकारी की भूमिका

- निबंधन व्यवस्था का पर्यवेक्षण
- पंचायत से प्राप्त प्रस्तावों को समेकित कर कार्य योजना बनाना
- चयनित कार्यान्वयन अभिकर्त्ताओं को कार्य आवंटित करना
- मस्टर रोल निर्गत करना
- बेकारी भत्ता की स्वीकृति एवं भुगतान
- समय पर मज़दूरी भुगतान सुनिश्चित करना
- शिक़ायतों की जाँच एवं निस्तार

कारगर कार्य प्रणाली

- ग्राम सभा को मज़बूत बनानाः पारदर्शिता, जागरुकता, सहभागिता
- कारगर भ्रमण, निरीक्षणः
  - जॉब कार्ड किसके पास
  - मस्टर रोल कार्य स्थल पर, सही एवं अद्यतन प्रविष्टि
  - मेट भी मज़दूर है, ठेकेदार नहीं
  - समय पर पूरी मज़दूरी का भुगतान सभी के सामने
  - समय समय पर मापी
- कानून, दिशा निर्देश, योजना मार्गदर्शिका को पढ़ते रहें

पाई गई त्रुटियाँ [1]

- आंकड़ों में विसंगतियाँ - कुल/ बी.पी.एल. परिवारों की संख्या एवं पंजीकरण के लिए आवेदन, जॉब कार्ड संख्या, रोज़गार की मांग एवं उपलब्धि, काम करने वाले मज़दूरों की संख्या, स्कीमों की संख्या, 60:40 अनुपात, प्रति श्रम दिवस खर्च, प्रति स्कीम सृजित क्षमता
- 2.2.06 के बाद NREGS प्रक्रिया पालन किए बिना NFFWP/ SGRY कार्य स्वीकृत किए गए
- मस्टर रोल संधारित नहीं; काम की जगह में उपलब्ध नहीं
- रोज़गार आवेदन के लिए रसीद नहीं दिए जा रहे
- जॉब कार्ड में महिलाओं का नाम नहीं, फ़ोटो नहीं

पाई गई त्रुटियाँ 2

- जल एवं भूमि प्रबंधन से संबंधित कार्यों के बजाय सड़क एवं भवन के कार्य
- लाइन विभाग इच्छुक नहीं
- सूचना पट्ट नहीं लगाये जा रहे
- अपूर्ण, अनुपयोगी योजनाएँ
- पंचायत, पंचायत समिति एवं ज़िला परिषद के बीच 50:30:20 के अनुपात में निधि का वितरण - यह रोज़गार की मांग पर आधारित होना चाहिए

पाई गई त्रुटियाँ [3]

- जॉब कार्ड व फ़ोटो के लिए पैसा मांगा जा रहा
- प्रशिक्षण की आवश्यकता - राज्य योजना प्रारम्भ
- कार्यक्रम पदा, लेखा लिपिक, कनीय अभियन्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर, पंचायत रोज़गार सेवक नियुक्त
- राष्ट्रीय मॉनिटरों के प्रतिवेदन पर कार्रवाई प्रतिवेदन
- अच्छे स्वयं सेवी संगठन से जागरुकता व प्रशिक्षण करावें
- कम्प्यूटरीकृत MIS का इस्तेमाल नहीं
- *कानूनी दायित्वों को अवश्य निभाएं*

रोज़गार गारंटी योजना के मूल मंत्र

1. पंजीकरण
2. कार्य पत्र (जॉब कार्ड)
3. रोज़गार के लिए आवेदन
4. 15 दिनों के अन्दर काम दिलाना
5. मज़दूरी का नियमित भुगतान – 7 या अधिकतम 14 दिन

संकल्प:

ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम को सफ़ल बनावें

ग़रीब मज़दूर परिवारों को 100 दिन काम दिलावें

बिहार का नाम रौशन करें